तीसरा अध्याय

3. लेनदेन से संबधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

इस अध्याय में राज्य शासन की कंपनियों के लेनदेनों की नमूना जाँच से निकलने वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को सम्मिलित किया गया है।

3.1 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के इंवेन्ट्री प्रबंधन पर वृहद कण्डिका

प्रस्तावना

3.1.1 छत्तीसगढ़ में, 31 दिसम्बर 2008 तक विद्युत वितरण का कार्य पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्ड़ल (मण्डल) द्वारा किया जाता था। 1 जनवरी 2009 से प्रभावशील मण्डल के विखण्डन के पश्चात् छत्तीसगढ़ में विद्युत वितरण का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (कंपनी) द्वारा किया जा रहा है जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन 19 मई 2003 को समामेलित हुई थी।

विद्युत वितरण प्रणाली के संचालन एवं संधारण के लिए कंपनी के अधीन छः क्षेत्रीय भण्डार हैं जो कण्डक्टर ट्रांसफार्मर, मीटर इत्यादि उपलब्ध कराते है। जहाँ एक तरफ कण्डक्टर, ट्रांसफार्मर, मीटर इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है जिससे कि बिना व्यवधान के विद्युत की आपूर्ति की जा सके दूसरी तरफ अधिक इंवेन्ट्री रखने से ब्याज एवं रखरखाव के कारण उनकी लागत में वृद्धि होती है तथा उनकी गुणवत्ता में भी कमी होने का जोखिम रहता है जो कि संगठन की लाभदायकता को बुरी तरह प्रभावित करता है। अतः इंवेन्ट्री का प्रबंधन आवश्यक सामग्री शीघ्रता से कम लागत पर कम से कम निधि अवरूद्ध कर सही समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है।

कंपनी के समग्र इंवेन्ट्री प्रबंधन का कार्य अधीक्षण अभियंता (भण्डारण) द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2014 को कंपनी के पास छः क्षेत्रीय भण्डार[1] थे जो राज्य के विभिन्न भागों में स्थित हैं जहाँ पर कार्यपालन अभियंता प्रमुख होता है। कंपनी के कार्यपालन अभियंता (क्षेत्रीय भण्डार) सामग्रियों की प्राप्ति एवं वितरण करने के लिए उत्तरदायी हैं। 31 मार्च 2014 को कंपनी के पास ₹ 110.31 करोड़ का स्कंध था एवं वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 302.76 करोड़ के रोकड़ का बहिर्गमन सामग्री क्रय करने के परिणामस्वरूप हआ। 31 मार्च 2014 को कंपनी के पास स्कंधों की संख्या 77 (क्षेत्रीय भण्डार जगदलपुर) से 453 (क्षेत्रीय भण्डार भिलाई) के मध्य थी।

[1] विश्रामपुर, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई एवं जगदलपुर

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

3.1.2 वृहद कण्डिका को शामिल करने का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्याः

- इंवेन्ट्री के स्तर का निर्धारण उचित अध्ययन एवं अबस[2] विश्लेषण के पश्चात् किया गया था जिससे कि अनुपयोगी सामग्री में निधि अवरूद्ध होने की स्थिति को टाला जा सके;
- भंडार का भौतिक सत्यापन और अन्तर को पहचान कर समाधान करने, स्लो मूव्हींग, नान-मूव्हींग, अप्रचलित स्टोर्स/ अनुपयोगी सामग्री को पहचान कर समय पर निपटान की व्यवस्था थी, और
- असफल ट्रांसफार्मरों की समय पर मरम्मत कर उसके अधिक से अधिक उपयोग करने हेतु प्रभावशाली व्यवस्था थी।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

3.1.3 लेखापरीक्षा जाँच मार्च 2014 एवं अप्रैल 2014 की अवधि के दौरान निष्पादित की गई जिसके दौरान मुख्य अभियंता (क्रय एवं भण्डार) रायपुर स्थित मुख्यालय एवं छः में से तीन[3] क्षेत्रीय भण्डारों के अभिलेखों की जाँच की गई। लेखापरीक्षा हेतु अपनाई गई कार्यविधि में चयनित कार्यालयों/क्षेत्रीय भण्डारों के अभिलेखों एवं फाइलों की जाँच करना सम्मिलित था।

जुलाई 2014 में कंपनी और राज्य शासन को लेखापरीक्षा आपत्तियाँ सूचित की गई तथा 11 सितम्बर 2014 को हुये निर्गमन सम्मेलन के दौरान इनकी चर्चा की गई। निर्गमन सम्मलेन में प्रमुख सचिव (ऊर्जा), छत्तीसगढ़ शासन एवं कंपनी के प्रबंध संचालक सम्मिलित थे। कंपनी ने अगस्त 2014 में लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर दिया। निर्गमन सम्मेलन में उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचारों एवं उत्तर को कण्डिका के अंतिमीकरण के दौरान ध्यान में रखा गया है।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

3.1.4 इंवेन्ट्री प्रबंधन में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जो अवलोकन किया गया, की चर्चा अग्र कण्डिका में की गई है।

इंवेन्ट्री के स्तर का निर्धारण

3.1.5 स्थापित इंवेन्ट्री प्रबंधन पद्धति के अनुसार स्कंधों का न्यूनतम, अधिकतम और पुनः आदेश स्तर निर्धारित करना आवश्यक होता है जिससे कि उचित मात्रा में इंवेन्ट्री रखी जा सके तथा निधि के अवरूद्ध होने की स्थिति को टाला जा सके। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कंपनी ने न तो कोई सामग्री प्रबंधन मैन्युअल बनाया और न ही किसी भी स्कंध का न्यूनतम, अधिकतम, पुनः आदेश स्तर या मितव्ययी आदेश स्तर निर्धारित किया। जिसके परिणामस्वरूप अधिक मात्रा में स्कंध बगैर किसी शीघ्र

[2] स्कंध नियंत्रण की प्रणाली जहाँ सामग्री उनके मूल्य के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। उदाहरण के लिए उच्च मूल्य की सामग्री को अ से वर्गीकृत किया जाता है, मध्यम मूल्य की सामग्री को ब एवं कम मूल्य की सामग्री को स से वर्गीकृत किया जाता है

[3] रायपुर, भिलाई एवं बिलासपुर

आवश्यकता के पड़ा हुआ है एवं कंपनी की निधि अवरूद्ध हुई जिसकी चर्चा अग्र कण्डिका में की गई है।

31 मार्च 2014 की समाप्ति में विगत तीन वर्षों के दौरान इंवेन्ट्री की खपत एवं अंतिम स्कंध का विस्तृत ब्यौरा ***तालिका -3.1*** में दिया गया है:

तालिका - 3.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक स्कंध	वर्ष के दौरान क्रय	वर्ष के दौरान खपत	खपत प्रति माह	अन्तिम स्कंध	अन्तिम स्कंध आवश्यक खपत के माह के रूप में
1	2	3	4	5	6(2+3-4)	7 (6/5)
2011-12	100.73	262.29	276.83	23.07	86.19	3.74
2012-13	86.19	264.93	265.99	22.17	85.13	3.84
2013-14	85.13	302.76	277.58	23.13	110.31	4.77

(स्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि विगत तीन वर्षों के दौरान अंतिम स्कंध आवश्यक खपत के माह के रूप में वर्ष 2011-12 में 3.74 माह से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 4.77 माह हो गया।

निर्गमन सम्मेलन (सितम्बर 2014) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि न्यूनतम, अधिकतम एवं मितव्ययी पुनः आदेश स्तर निर्धारित किया जावेगा।

शीघ्र आवश्यकता के बगैर स्कंध क्रय किया जाना

3.1.6 नमूना जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित स्कंध या तो बगैर आवश्यकता के क्रय किया गया या जरूरत होने से काफी पहले क्रय किया गया जिसके कारण निधि अवरूद्ध हुई जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि के अतिरिक्त स्कंध की गुणवत्ता में भी गिरावट हुई:

(i) रीइनफोर्सड स्टील जॉइस्ट (आरएस जॉइस्ट): आरएस जॉइस्ट की आवश्यकता 11 केव्ही, 33 केव्ही विद्युत लाईन एवं शहर के निम्न दाब तथा उच्च दाब कनेक्शन के समर्थन में उपयोग किया जाता है। 31 मार्च 2014 की समाप्ति में विगत तीन वर्षों के दौरान आरएस जॉइस्ट की आवश्यकता क्रय, खपत एवं अंतिम स्कंध का विस्तृत ब्यौरा ***तालिका - 3.2*** में दिया गया है।

तालिका - 3.2

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	प्रारंभिक स्कंध	वर्ष के दौरान आवश्यकता	वर्ष के दौरान क्रय	वर्ष के दौरान खपत	अन्तिम स्कंध	
					मात्रा	₹ करोड़ में
2011-12	100.25	1600	800.10	595.69	304.66	1.26
2012-13	304.66	1800	1013.02	877.14	440.54	1.90
2013-14	440.54	0	697.90	817.82	320.62	2.57

(स्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने 800.10 मीट्रिक टन एवं 1013.02 मीट्रिक टन आरएस जॉइस्ट वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमशः 1600 मीट्रिक टन एवं 1800 मीट्रिक टन आवश्यकता के विरूद्ध क्रय किया। इसके अलावा वर्ष 2013-14 में कंपनी ने बगैर आवश्यकता के 697.90 मीट्रिक टन क्रय किया। विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी के पास न्यूनतम 304.66 मीट्रिक टन अंतिम स्कंध था। यह दर्शाता है कि विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी ने ₹ 1.26 करोड़ मूल्य के 304.66 मीट्रिक टन आरएस जॉइस्ट वास्तविक आवश्यकता से ज्यादा क्रय किया।

निर्गमन सम्मेलन (सितम्बर 2014) के दौरान, शासन ने कहा कि सामग्री का क्रय विभिन्न योजनाओं की आवश्यकताओं के लिए किया गया था किन्तु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सका।

उत्तर यह सत्यापित करता है कि आरएस जॉइस्ट का क्रय बगैर वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए किया गया।

(ii) वीजल कण्डक्टर: उप-पारेषण प्रणाली में तथा विद्युत शक्ति को विद्युत उत्पादन इकाई से अति उच्च दाब उपकेन्द्रों में तथा अति उच्च दाब उपकेन्द्रों से 33/11 केव्ही उपकेन्द्रों में और उपभोक्ताओं के घर तक प्रवाहित करने के लिये कंडक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में, विद्युत शक्ति को भेजने के लिये विभिन्न माप के कंडक्टर की आवश्यकता होती है जो उच्च दाब लाईन से निम्न दाब लाईन में स्थानान्तरित होती है। 31 मार्च 2014 की समाप्ति पर विगत तीन वर्षों के दौरान वीजल कंडक्टर की आवश्यकता, क्रय, खपत एवं अंतिम स्कंध का विस्तृत ब्यौरा ***तालिका - 3.3*** में दिया जा रहा है।

तालिका- 3.3

(मात्रा कि. मी. में)

वर्ष	प्रारंभिक स्कंध	वर्ष के दौरान आवश्यकता	वर्ष के दौरान क्रय	वर्ष के दौरान खपत	अन्तिम स्कंध	
					मात्रा	₹ करोड़ में
2011-12	1978.53	17000.00	9188.78	10982.27	185.04	0.41
2012-13	185.04	14290.00	1741.95	1193.86	733.13	1.38
2013-14	733.13	10000.00	9363.40	5025.33	5071.20	9.50

(स्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने 9363.40 कि.मी. वीजल कंडक्टर क्रय किया जो कि पिछले वर्षों से काफी ज्यादा था, जिसके कारण अंतिम स्कंध में ज्यादा वृद्धि हुई। 31 मार्च 2014 को अंतिम स्कंध वास्तविक खपत से ज्यादा था। इस प्रकार वर्ष में वीजल कंडक्टर का क्रय वास्तविक खपत से काफी ज्यादा किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.50 करोड़ का 5071.20 कि.मी. अंतिम स्कंध शेष रहा।

निर्गमन सम्मेलन (सितम्बर 2014) के दौरान, शासन ने कहा कि सामग्री का क्रय विभिन्न योजनाओं की आवश्यकताओं के लिए किया गया था। यद्यपि, विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सका।

उत्तर यह सत्यापित करता है कि वीजल कंडक्टर का क्रय बगैर वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए किया गया जिसके परिणामस्वरूप स्कंध संचय हुआ।

(iii) एच बीमः कंपनी ने एच बीम का क्रय 33/11 केव्ही लाईन के सुदृढ़ीकरण के लिए तथा लाईन को स्थिर रखने के लिए किया। 31 मार्च 2014 की समाप्ति पर विगत तीन वर्षों के दौरान एच बीम की आवश्यकता, क्रय, खपत एवं अंतिम स्कंध का विस्तृत ब्यौरा ***तालिका - 3.4*** में दिया गया है।

तालिका - 3.4

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	प्रारंभिक स्कंध	वर्ष के दौरान आवश्यकता	वर्ष के दौरान क्रय	वर्ष के दौरान खपत	अन्तिम स्कंध	
					मात्रा	₹ करोड़ में
2011-12	63.95	1000.00	226.00	279.43	10.52	0.05
2012-13	10.52	2000.00	1383.97	1351.91	42.58	0.21
2013-14	42.58	5000.00	4017.17	1725.94	2333.81	10.26

(स्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने 4017.17 मीट्रिक टन एच बीम क्रय किया जो कि पिछले वर्षों से काफी ज्यादा है। जिसके परिणामस्वरूप अंतिम स्कंध में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। इस प्रकार वर्ष 2013-14 में एच बीम का क्रय वास्तविक आवश्यकता से काफी ज्यादा किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.26 करोड़ का 2333.81 मीट्रिक टन अंतिम स्कंध शेष रहा।

निर्गमन सम्मेलन (सितम्बर 2014) के दौरान, शासन ने कहा कि सामग्री का क्रय विभिन्न योजनाओं की आवश्यकताओं के लिए किया गया था। किन्तु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सका।

उत्तर यह सत्यापित करता है कि कंपनी ने वर्ष 2013-14 में एच बीम का क्रय वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में न रखते हुए किया जो कि वर्ष 2014-15 में उपयोग किया जावेगा।

स्कंध का भौतिक सत्यापन एवं स्लो मूव्हींग/नॉन मूव्हींग स्कंध की पहचान करना

स्कंध का भौतिक सत्यापन

3.1.7 स्कंध की निरंतर उपयोगिता एवं अभिलेखों के अनुसार भंडार में सामग्रियों की वास्तविक उपलब्धता पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सामयिक अंतराल में स्कंध का भौतिक सत्यापन करना होता है। स्कंध की मात्रा का निर्धारण स्कंध के प्रकार के आधार पर, गिनती करके, तौल कर, नाप कर या अनुमान लगाकर किया जाता है। यह पाया गया कि भंडार स्तर पर स्कंध का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से किया जा रहा है। यद्यपि, शीर्ष कार्यालयीन स्तर पर भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों का विश्लेषण नहीं हो रहा था एवं भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमी/आधिक्य की एकीकृत स्थिति से कंपनी अवगत नहीं थी।

भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की जाँच में यह पाया गया कि भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों एवं क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के अभिलेखों पर दर्शाये गए स्कंधों में भिन्नताएँ थी। भौतिक सत्यापन के दौरान पुस्तकीय मात्रा से तुलना करने पर पाई गई कमियाँ, छः क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में ₹ 9.69 करोड़ (2011-12) से बढ़कर ₹ 9.83 करोड़ (2012-13) हो गई। क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, जगदलपुर में कोई आधिक्य/कमी नहीं पाई गई। यद्यपि, अधिकतम आधिक्य ₹ 1.55 करोड़ एवं अधिकतम कमी ₹ 7.52 करोड़ क्रमशः क्षेत्रीय लेखा कार्यालय बिलासपुर एवं अंबिकापुर में पाई गई। यह इंगित करता है कि कमियों के निरीक्षण/समाधान का तंत्र पर्याप्त नहीं था एवं असंगतियाँ बिना समाधान के बनी रहीं (मार्च 2014)। ऐसी परिस्थितियों में इंवेन्ट्री के चोरी होने एवं गबन की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

निर्गमन सम्मेलन (सितम्बर 2014) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि आधिक्य/कमी की छानबीन चल रही है।

स्लो मूव्हींग एवं नॉन मूव्हींग स्कंध

3.1.8 कंपनी की नीति के अनुसार स्कंध को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- **स्लो मूव्हींग:** जिनका टर्नओवर अनुपात 12 माह से अधिक एवं 24 माह से कम हो।
- **वेरी स्लो मूव्हींग:** जिनका टर्नओवर अनुपात 24 माह से अधिक एवं 36 माह से कम हो।
- **नॉन मूव्हींग:** जिनका टर्नओवर अनुपात 36 माह से अधिक हो।

31 मार्च 2014 को समाप्त विगत तीन वर्षों में कंपनी की इंवेन्ट्री के वर्गीकरण की नीति पर आधारित विभिन्न वर्गों के अंतर्गत इंवेन्ट्री का मूल्य ***तालिका 3.5*** में दर्शाया गया है।

तालिका - 3.5

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2012	31.3.2013	31.03.2014
स्लो मूव्हींग सामग्री	3.31	4.72	12.70
वेरी स्लो मूव्हींग सामग्री	7.39	4.64	8.52
नॉन मूव्हींग सामग्री	19.06	15.53	32.41
योग	**29.76**	**24.89**	**53.63**
फास्ट मूव्हींग सामग्री	16.39	19.62	32.20
असफल ट्रांसफार्मर एवं अनुपयोगी सामग्री	40.04	40.62	24.48
वर्ष के अंत में स्कंध	86.19	85.13	110.31

(स्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

अभिलेखों के परीक्षण से यह पाया गया कि स्लो मूव्हींग, वेरी स्लो मूव्हींग एवं नॉन मूव्हींग के रूप में सामग्रियों का वर्गीकरण क्रय की तिथि को लिए बिना केवल जारी करने की अंतिम तिथि के आधार पर किया गया। परिणामस्वरूप हाल ही में क्रय की गई सामग्री को स्लो मूव्हींग के रूप में वर्गीकृत किया गया क्योंकि काफी समय तक इन सामग्रियों की कुछ भी मात्रा जारी नहीं की गयी थी। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है :

- लेखापरीक्षा में नमूना जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2012-13 में क्रय किए गए आरएस जॉइस्ट[4] एवं वर्ष 2013-14 में क्रय किये गए वीजल कण्डक्टर[5] एवं एच बीम[6] का वर्गीकरण नॉन मूव्हींग के रूप में किया गया क्योंकि इन सामग्रियों की कोई भी मात्रा 36 माह से अधिक समय तक जारी नहीं की गई। इसी प्रकार मई 2009 एवं फरवरी 2011 के मध्य क्रय किए गए 179 नग 5 केव्हीए वितरण ट्रांसफार्मर जिनका मूल्य ₹ 0.33 करोड़ था को स्लो मूव्हींग, वेरी स्लो मूव्हींग या नॉन मूव्हींग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया क्योंकि जून 2013 में 10 नग ट्रांसफार्मर को जारी किया गया था।

- वर्ष 2011-12 के अंत में क्षेत्रीय भंडार, रायगढ़ में नॉन मूव्हींग सामग्रियों का मूल्य ₹ 1.83 करोड़ था जो वर्ष 2012-13 के अंत में बढ़कर ₹ 2.93 करोड़ हो गया एवं अगले वर्ष 2013-14 के अंत में यह बढ़कर ₹ 7.92 करोड़ हो गया। इसमें वर्ष 2013-14 में क्रय किए गए ₹ 7.01 करोड़ मूल्य की सामग्रियाँ शामिल है किन्तु 36 माह से अधिक समय तक जारी नहीं होने के कारण इनको भी नॉन मूव्हींग सामग्रियों के अंतर्गत शामिल किया गया।

यह भी देखा गया कि स्कंध पर उचित नियंत्रण रखने की दृष्टि से स्लो मूव्हींग, वेरी स्लो मूव्हींग एवं नॉन मूव्हींग सामग्रियों की आयु-वार एकीकृत स्थिति का संधारण कंपनी द्वारा नहीं किया गया।

निर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2014) शासन ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि सुधारात्मक कदम उठाये जाएँगे।

[4] क्षेत्रीय भंडार जगदलपुर में ₹ 0.14 करोड़ एवं भिलाई में ₹ 0.05 करोड़

[5] क्षेत्रीय भंडार विश्रामपुर में ₹ 1.93 करोड़, बिलासपुर में ₹ 1.85 करोड़ एवं रायगढ़ में ₹ 2.23 करोड़

[6] क्षेत्रीय भंडार जगदलपुर में ₹ 1.34 करोड़, बिलासपुर में ₹ 1.46 करोड़ एवं भिलाई में ₹ 1.81 करोड़

अप्रचलित ट्रांसफार्मरों के सर्वेक्षण/निराकरण में विलंब

3.1.9 ट्रांसफार्मर जो सुधार के लिए योग्य नहीं होते उन्हे सर्वेक्षण उपरान्त निराकरण करने के लिए अनुपयोगी घोषित किया जाता है। अप्रचलित ट्रांसफार्मरों के निराकरण से संबंधित अभिलेखों की जाँचे में लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न क्षमताओं के 6848 नग अप्रचलित/सेवा के लिए असक्षम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एवं 39 नग अप्रचलित/सेवा के लिए असक्षम पावर ट्रांसफार्मर क्षेत्रीय भंडारों में 31 वर्षों तक की अवधि से पड़े हुए हैं, जिसका विस्तृत ब्यौरा ***अनुलग्नक 3.1*** में दिया गया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान डिस्ट्रीब्यूशन एवं पावर ट्रांसफार्मरों के निराकरण का प्रतिशत क्रमशः 39.76 एवं 30.36 रहा एवं अप्रचलित डिस्ट्रीब्यूशन एवं पावर ट्रांसफर्मर कंपनी के भंडारों में लंबे समय से पड़े हुए हैं। अतः अप्रचलित/सेवा के लिए असक्षम ट्रांसफार्मर के सर्वेक्षण/निराकरण में विलंब के फलस्वरूप ₹ 11.67 करोड़[7] के अर्जन में विलंब हुआ। जो कि यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अप्रचलित/सेवा के लिए असक्षम ट्रांसफार्मरों की पहचान कर समय पर निराकरण के लिए नीति एवं निरीक्षण प्रणाली नहीं है। यदि कंपनी ने बिना विलंब किए अप्रचालित/सेवा के लिए असक्षम ट्रांसफार्मरों के निराकरण के लिए कार्यवाही शुरू की होती तो कंपनी को राजस्व अर्जित होता एवं अन्य सामग्रियों के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान भी होता।

निर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2014) शासन ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया एवं कहा कि पुराने एवं नहीं सुधारे जा सकने वाले ट्रांसफार्मरों की नीलामी के लिए एक अभियान प्रारम्भ किया गया है।

खराब हुए ट्रांसफार्मरों से कम मात्रा में तेल प्राप्त होना

3.1.10 एक ट्रांसफार्मर जिसमें कोई रिसाव न हो एवं तेल की सील सुरक्षित हो तो उसमें पूरी टैंक क्षमता के बराबर तेल होना चाहिए। यह पाया गया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान कंपनी ने 10464 ट्रांसफार्मर से प्राप्ति योग्य 1702.54 किलो लीटर तेल के विरूद्ध 423.97 किलो लीटर तेल प्राप्त किया। यह 1278.57 किलो लीटर (75.10 प्रतिशत) की कमी को दर्शाता है जिसका मूल्य ₹ 5.38 करोड़ था ***(अनुलग्नक 3.2)***। ट्रांसफार्मर तेल में कमी के लिए कंपनी द्वारा कोई भी मापदण्ड निर्धारित नहीं किए गए है। आगे यह भी पाया गया कि कंपनी के द्वारा कमी की जाँच नहीं करवाई गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.38 करोड़ की हानि हुई।

निर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2014) शासन ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया एवं कहा कि ट्रांसफार्मर तेल की कमी के लिए मापदण्ड निर्धारित किए जाएँगे।

अनुपयोगी स्कंध के निराकरण में विलंब

3.1.11 अप्रैल 2011 को कंपनी के पास ₹ 6.76 करोड़ मूल्य का प्रारंभिक अनुपयोगी स्कंध शेष था जिसमें 2011 से 2014 के दौरान ₹ 9.96 करोड़ सम्मिलित हुआ एवं ₹ 5.33 करोड़ के अनुपयोगी स्कंध का निपटान किया गया। विगत तीन वर्षों के दौरान अनुपयोगी स्कंध के निराकरण का प्रतिशत केवल 31.88 था। मार्च 2014 के अंत में कंपनी के पास ₹ 11.39 करोड़ मूल्य का अनुपयोगी स्कंध था जिसमें पावर ट्रांसफर्मर,

[7] कम्पनी द्वारा निर्धारित मूल्य

डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर्मर, तार, जला हुआ तेल, मीटर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, बैटरी इत्यादि शामिल है जो कि सात वर्ष तक की अवधि से कंपनी के भंडारों में पड़ा हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.39 करोड़ की निधि अवरूद्ध हुई जो कि खराब इंवेन्ट्री प्रबन्धन का भी सूचक है।

निर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2014) शासन ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया एवं कहा कि अनुपयोगी स्कंध के निराकरण के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है।

असफल ट्रांसफार्मरों का सुधार/बदला जाना

विफल ट्रांसफार्मरों का सुधार न करवाना

3.1.12 पावर ट्रांसफार्मर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इंवेंट्री के महत्वपूर्ण अंग हैं। क्रय आदेश के सामान्य नियम व शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता को ट्रांसफार्मर के प्रदर्शन की गारंटी आपूर्ति की तिथि से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए देनी होती है। कंपनी के पास कुल 9107 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर थे जिसमें से 5001 गारंटी अवधि के दौरान विफल हुए एवं 4106 ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि के बाद विफल हुए जो कि सुधारने योग्य अवस्था में थे किन्तु मार्च 2014 के अंत में बिना सुधारे क्षेत्रीय भंडार या वेंडर के पास पड़े थे। कंपनी ने इनके बदलाव/सुधार/वेंडर से वापसी के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। इस सम्बंध में पाई गई महत्वपूर्ण आपत्तियाँ निम्न हैः-

- रूपये 24.70 करोड़ मूल्य के 9107 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (3118 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिनका मूल्य ₹ 16.36 करोड़ था, दर अनुबंध के अंतर्गत 1883 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिनका मूल्य ₹ 3.59 करोड़ था एवं 4106 सुधारने योग्य डिस्ट्रीव्यशन ट्रांसफार्मर जिनका मूल्य ₹ 4.75 करोड़ था) जो कि विफल थे, मार्च 2014 के अंत में बिना सुधारे हुए या तो क्षेत्रीय भंडारों में पड़े थे या फिर वेंडर के पास। 9107 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों का आयु-वार विवरण कंपनी द्वारा संधारित नहीं किया गया था। आयु-वार विवरण की अनुपस्थिति के कारण विलंब की गणना नहीं की जा सकी इसके अतिरिक्त जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की गारंटी अवधि क्रय करने के 60 माह बाद समाप्त हो जाती है, यह संभावना है कि गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों के सुधार के लिए सही समय पर कार्यवाही प्रारम्भ करने में कंपनी की विफलता के कारण ₹ 24.70 करोड़ मूल्य की इंवेन्ट्री व्यर्थ पड़ी रही।

निर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2014) शासन ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया एवं कहा कि भंडार में पड़े डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों के क्रमीकरण का कार्य प्रगति पर है, सभी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों के क्रमीकरण होने के बाद, आयु-वार विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

असफल हुए पावर ट्रांसफार्मरों को सुधारने के बजाय क्रय किया जाना

3.1.13 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान 74 नग[8] पावर ट्रांसफार्मर विफल हुए। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा की आपत्तियाँ निम्न हैः-

- 26 नग असफल पावर ट्रांसफार्मर (पाँच गारंटी अवधि के अन्दर एवं 21 गारंटी अवधि के बाद) सात से 34 माह की अवधि के गुजर जाने के बाद भी मैदानी कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय भंडारो को वापस नहीं किए गए (फरवरी 2014)।
- गारंटी अवधि के बाद असफल हुए 68 ट्रांसफार्मरों में से केवल 11 पावर ट्रांसफार्मर को दर अनुबन्ध के तहत सुधारा गया। इन पावर ट्रांसफार्मरों को सुधारने के लिए दर अनुबंध कंपनी के क्षेत्रीय भंडारों में इन पावर ट्रांसफार्मरों के प्राप्त होने के सात से 12 माह के विलंब के पश्चात् जारी किए गए एवं 57 पावर ट्रांसफार्मरों के लिए दर अनुबंध जारी नहीं किए गए (फरवरी 2014)।
- छः पावर ट्रांसफार्मर जो गारंटी अवधि के दौरान विफल हुए थे उनमें से पाँच को कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सात से 34 माह की अवधि के गुजर जाने के बाद भी क्षेत्रीय भंडारों को नहीं लौटाया गया (फरवरी 2014) तथा कंपनी द्वारा पावर ट्रांसफार्मर के विफल होने की सूचना आपूर्तिकर्ता को नहीं दे पाने के कारण गारंटी अवधि भी प्रभावित हुई।

इसके अतिरिक्त 2011-14 के दौरान कंपनी ने 148 नग 3.15 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमव्हीए) एवं 101 नग 5 एमव्हीए नये पावर ट्रांसफार्मर क्रमशः ₹ 0.20 करोड़ एवं ₹ 0.29 करोड़ प्रति इकाई की औसत लागत पर क्रय किए। यदि कंपनी द्वारा सही समय पर 24 नग[9] 3.15 एमव्हीए एवं 12 नग[10] 5 एमव्हीए पावर ट्रांसफार्मर जो कि सुधारने योग्य स्थिति में थे, का सुधार किया गया होता तो ऐसे पावर ट्रांसफार्मरों के क्रय में व्यय किए गए ₹ 8.28 करोड़ को बचाया जा सकता था। आगे, कंपनी ने इन 36 नग[11] पावर ट्रांसफार्मरों को सुधारने के लिए सात से 34 माह की अवधि गुजर जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जिसकी वजह से ₹ 2.21 करोड़ अवरूद्ध रहे, जो कि असफल ट्रांसफार्मरों का निर्धारित मूल्य है।

निर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2014) शासन ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि असफल ट्रांसफार्मरों को अक्टूबर 2014 तक क्षेत्रीय भंडारों को लौटा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त शासन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि असफल पावर ट्रांसफार्मरों को क्यों नहीं सुधारा गया।

निष्कर्ष

कंपनी के पास विभिन्न वर्गो की इंवेन्ट्री के लिए न्यूनतम, अधिकतम एव पुनः आदेश स्तर के निर्धारण के लिए एक भली-भाँति परिभाषित इंवेन्ट्री प्रबंधन नीति नहीं है। कंपनी को यह अनुशंसा की जाती है कि विभिन्न स्कंधों के भंडारण के लिए न्यूनतम,

[8] छः पावर ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि के अन्दर एवं 68 पावर ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि के बाहर
[9] 2011-12: आठ नग, 2012-13: चार नग एवं 2013-14: 12 नग
[10] 2011-12: तीन नग, 2012-13: छः नग एवं 2013-14: तीन नग
[11] 24 नग 3.15 एमव्हीए एवं 12 नग 5 एमव्हीए

अधिकतम एवं पुनः आदेश स्तर स्थापित करने हेतु एक इंवेन्ट्री प्रबंधन नीति बनाई जाए।

क्रय आदेश प्रस्तुत करने के पूर्व सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के पास ₹ 21.02 करोड़ मूल्य के आरएस जॉइस्ट, वीजल कंडक्टर एवं एच बीम का अधिक स्कंध था, जो बिना त्वरित आवश्यकता के क्रय किये गए। कंपनी को यह अनुशंसा की जाती है कि सामग्री के क्रय के पूर्व आवश्यकता के निर्धारण के लिए एक प्रणाली तैयार करे।

कंपनी नियमित रूप से भंडारों का भौतिक सत्यापन करती है, किन्तु वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान इंवेन्ट्री की सामग्रियों में पायी गई ₹ 9.83 करोड़ की कमी का समाधान नहीं किया गया (मार्च 2014)। कंपनी को यह अनुशंसा की जाती है कि इंवेन्ट्री के भौतिक सत्यापन में पाई गई कमियों के समाधान के लिए तत्काल कार्यवाही करें।

रूपये 23.06 करोड़ मूल्य के असफल ट्रांसफार्मर एवं अनुपयोगी स्कंध के निराकरण में विलंब हुआ। खराब ट्रांसफार्मरों से प्राप्त तेल में भी कमी पाई गई जिसका मूल्य ₹ 5.38 करोड़ था। कंपनी को यह अनुशंसा की जाती है कि अप्रचलित/अवशिष्ट/आधिक्य सामग्रियों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए एवं विफल ट्रांसफार्मरों में से प्राप्त तेल के लिए मापदण्ड़ निर्धारित किए जाएँ; एवं

कंपनी ₹ 26.91 करोड़ मूल्य के पावर/डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों को सुधारने में विफल रही जो कि क्षेत्रीय भंडारों/वेंडरों के यहाँ व्यर्थ पड़े हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप नए ट्रांसफार्मर क्रय किए गए। कंपनी को यह अनुशंसा की जाती है कि उसके द्वारा विफल ट्रांसफार्मर को समय पर लौटाने/सुधारने के लिए एक नीति स्थापित करे।

छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड

3.2 दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान

कंपनी की ओर से अग्रिम कर के भुगतान में असफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 14.84 लाख के दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 208 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम आयकर देय होगा, यदि करदाता द्वारा देय कर की राशि दस हजार या उससे अधिक है। अधिनियम की धारा 234(बी) यह प्रावधान करती है कि किसी वित्तीय वर्ष में कोई करदाता धारा 208 के अधीन अग्रिम आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और ऐसे कर का भुगतान करने में विफल रहने या आंकलित कर के 90 प्रतिशत से कम का भुगतान करने पर करदाता अप्रैल के पहले दिन से प्रत्येक माह के लिये आंकलित कर से कम भुगतान किये गये अग्रिम कर पर एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 234 (सी) प्रावधान करती है कि यदि एक करदाता अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल होता है या अग्रिम कर का देय तिथि 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 31 मार्च तक क्रमशः 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत से कम भुगतान करता है तो करदाता कम भुगतान की गई राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी

होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (कंपनी) का समामेलन 14 दिसम्बर 2011 को छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस विभाग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के भवन निर्माण कार्यों जैसे पुलिस स्टेशनों, पुलिस चौकियों, आवासीय भवनों इत्यादि के लिए हुआ था। इस उद्देश्य के लिए कंपनी को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ सरकार से निधि प्राप्त हुई। कंपनी द्वारा विभिन्न कार्य जैसे प्राक्कलन बनाना, अनुमोदन लेना तथा निविदा सम्बन्धी क्रियायें निधि प्राप्त होने के उपरांत किया गया जिसमें अधिक समय लगा, तब तक भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त निधि को कंपनी द्वारा विभिन्न बैंक खातो में रखा गया, जिस पर कंपनी को ब्याज प्राप्त होता हैं।

दस्तावेजों की संवीक्षा (फरवरी 2014) में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने कुल ₹ 8.39 करोड़ की आय अर्जित की जिसमें ₹ 8.11 करोड़ ब्याज से आय सम्मिलित है। कंपनी ने अधिनियम के प्रावधान के तहत उक्त आय पर निश्चित समय के अंदर अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया (बैंक जमाओं पर प्राप्त ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती को छोड़कर)। वर्ष 2012-13 के लिए कुल देय कर ₹ 2.12 करोड़ में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की राशि ₹ 77.58 लाख थी। तदुपरांत, कंपनी द्वारा शेष आयकर की राशि ₹ 1.34 करोड़ का भुगतान 28 सितम्बर 2013 को वर्ष 2012-13 के लिए आयकर विवरणी भरते समय किया गया। अग्रिम कर का भुगतान न करने के कारण, कंपनी ने दाण्डिक ब्याज के रूप में ₹ 14.84 लाख[12] का भुगतान (28 सितम्बर 2013) भी किया।

हमने पाया कि कंपनी के पास अनुमानित आय की सामयिक समीक्षा करने की कोई प्रणाली नहीं थी। कंपनी की ओर से अपनी त्रैमासिक आय के आंकलन करने में असफल रहने के कारण अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप उसे ₹ 14.84 लाख के दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

सरकार ने बताया (जून 2014) कि निगम एक नवीन समामेलित संस्था है और उसके पास पर्याप्त कर्मचारी न होने के कारण 2012-13 की अवधि का अग्रिम कर जमा नहीं किया जा सका। सरकार ने यह भी बताया कि वर्ष 2013-14 का अग्रिम कर समय पर जमा कर दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि कंपनी द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान भी ₹ 1.03 करोड़ तथा ₹ 2.21 करोड़ क्रमशः 17 दिसम्बर 2013 तथा 18 मार्च 2014 को प्रावधिक रूप से अग्रिम कर का भुगतान किया गया जो कि यह दर्शाता है कि प्रबंधन पुनः अग्रिम कर के भुगतान के लिए निर्धारित त्रैमासिक समयावधि को ध्यान में रखने में असफल रहा।

कंपनी को त्रैमासिक लाभ का अनुमान लगाने तथा उसके अनुरूप अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली की स्थापना के लिये योजना बनानी चाहिये।

[12] अधिनियम की धारा 234 बी के तहत ₹ 8.06 लाख एवं धारा 234 सी के तहत ₹ 6.78 लाख

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

3.3 आयकर का परिहार्य भुगतान

सामूहिक अवकाश नगदीकरण योजना पालिसी पर उपार्जित ब्याज को कंपनी की आय मानने के परिणामस्वरूप एवं उसका गलत लेखांकन करने से ₹ 49.05 लाख के आयकर का परिहार्य भुगतान

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) ने अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अवकाश नगदीकरण लाभ उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह अवकाश नगदीकरण योजना पालिसी (जीएलईएस) ली (1 मार्च 2009), जो कि एक परिभाषित लाभ योजना है। नियोजित सम्पत्ति के उचित मूल्य की तुलना भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में दायित्वों के वर्तमान मूल्य के साथ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया तथा कंपनी ने जीएलईएस में अंशदान के रूप में कमी की भरपाई की है। तदानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, भारतीय जीवन बीमा निगम बीमांकिक मूल्यांकन करता है तथा जीएलईएस निधि पर अर्जित ब्याज को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा देय अंशदान की गणना की जाती है। कंपनी द्वारा 2009-10 से अपने लेखों में जीएलईएस से अर्जित ब्याज को अपनी आय के साथ-साथ व्यय के रूप में दिखाया गया है (जीएलईएस निधि में अंशदान)। जबकि कंपनी को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सूचित दायित्वों के वर्तमान मूल्य की तुलना में केवल नियोजित सम्पति (उपार्जित ब्याज सहित) के उचित मूल्य की कमी का अंशदान करने की आवश्यकता थी, जीएलईएस पर उपार्जित ब्याज कंपनी की आय नहीं थी।

हमने पाया कि कंपनी कृषि सम्बन्धी क्रियाओं में लगी है और इस प्रकार इसकी कृषि से आय आयकर से मुक्त है। यद्यपि, जीएलईएस पर उपार्जित ब्याज को अपनी गलत आय मानकर, जो कि कृषि आय नहीं है, कंपनी को ₹ 49.05 लाख आयकर के रूप में भुगतान करना पड़ा जैसा कि ***अनुलग्नक- 3.3*** में दर्शित है।

अगर जीएलईएस के अंशदान में वास्तविक कमी की राशि (शुद्ध उपार्जित ब्याज) को ध्यान में रखा जाता, तो कंपनी को ₹ 49.05 लाख आयकर के रूप में भुगतान करने की आवश्यकता नही थी।

सरकार ने बताया (जून 2014) कि वर्ष 2013-14 से जीएलईएस पालिसी पर उपार्जित ब्याज का लेखांकन लेखापरीक्षा द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा।

3.4 राजस्व की हानि

कंपनी द्वारा निविदा में औद्योगिक बाँस की कम मात्रा दर्शाने के कारण ₹ 11.77 लाख के राजस्व की हानि

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) अपने जंगलों में औद्योगिक बाँस उत्पादित करता है, जिसे नोशनल टन (एनटी)[13] में मापा जाता है। कंपनी द्वारा औद्योगिक बाँस का विक्रय मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़ शासन (सीसीएफ)

[13] बाँसों की 2400 मीटर की लम्बाई

द्वारा आमंत्रित निविदा के माध्यम से किया जाता है। सीसीएफ प्रत्येक वर्ष कंपनी के विभिन्न वन डिपो में औद्योगिक बाँस के स्टॉक की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करता है और उनके निराकरण हेतु निविदा आमंत्रित करता है। निविदा प्रक्रिया के उपरांत, सीसीएफ क्रेता (सफल बोलीदाता) का चयन करता है तथा क्रेता इसके संबंध में कंपनी के क्षेत्रीय महाप्रबंधक (आरजीएम) के साथ एक अनुबंध निष्पादित करता है। निविदा की नियम एवं शर्ते तथा अनुबंध यह व्यवस्था करता है कि क्रेता द्वारा निविदा में अंतिमीकृत की गई मात्रा एवं मूल्य के अनुसार औद्योगिक बाँस का क्रय किया जायेगा तथा क्रेता उसी तरीके से निविदा में दर्शित मात्रा के 25 प्रतिशत तक बाँस की अतिरिक्त मात्रा क्रय करने के लिए बाध्य होगा जो उसे प्रस्तावित की गई है। ऐसी दशा में जहाँ औद्योगिक बाँस का उत्पादन निविदा में दर्शित मात्रा तथा 25 प्रतिशत की अतिरिक्त मात्रा से भी अधिक हो जाता है, वहाँ उस अतिरिक्त मात्रा के लिए दरें 10 प्रतिशत कम हो जायेगी। अगर औद्योगिक बाँस की मात्रा निविदा में कम दर्शित की जाती है तो वहाँ पर कम राजस्व वसूली का जोखिम होता है।

वर्ष 2010-11 के लिए पानाबरस संभाग के 646.34 एनटी के वास्तविक उत्पादन के विरूद्ध 200 एनटी औद्योगिक बाँस को मेसर्स राजेश कुमार खण्डेलवाल, राजनांदगांव (ठेकेदार) को ₹ 3600 प्रति एनटी की दर से विक्रय हेतु प्रस्तावित की गई (जनवरी 2011 में प्रथम चरण की निविदा में)। कंपनी ने कुल 360 एनटी[14] बाँस का विक्रय ठेकेदार को किया तथा 286.34 एनटी की शेष मात्रा का विक्रय (मई 2012) सीसीएफ के द्वारा निविदा के माध्यम से उसी ठेकेदार को ₹ 501 प्रति एनटी की दर से कम मूल्य पर किया। कंपनी द्वारा निविदा में ठेकेदार को विक्रय किये जाने वाले औद्योगिक बाँस की प्रस्तावित मात्रा कम दर्शाने के कारण ₹ 9.27 लाख का राजस्व कम प्राप्त हुआ जैसा कि ***अनुलग्नक 3.4*** में दर्शित है।

उसीतरह वर्ष 2011-12 के लिए, पानाबरस संभाग के 1041.82 एनटी के वास्तविक उत्पादन के विरूद्ध 580 एनटी औद्योगिक बाँस को मेसर्स सिरजन इण्टरप्राइजेज, राजनांदगांव (ठेकेदार) को ₹ 4654 प्रति एनटी की दर से विक्रय हेतु प्रस्तावित की गई (मार्च 2012)। ठेकेदार द्वारा केवल 725 एनटी की अनिवार्य मात्रा[15] उठाई गई तथा कंपनी द्वारा 316.82 एनटी की शेष मात्रा का विक्रय (जनवरी 2013) नीलामी के द्वारा ₹ 3864.56 प्रति एनटी की दर से कम मूल्य पर किया गया। इसके फलस्वरूप कंपनी को ₹ 2.50 लाख[16] का कम राजस्व प्राप्त हुआ।

सरकार ने बताया (जून 2014) कि वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान सीसीएफ द्वारा निविदा में औद्योगिक बाँस के कम उत्पादन दिखाने का मुख्य कारण वन से डिपो तक बाँसों के परिवहन में अनिश्चितता का होना है क्योंकि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। यद्यपि, सरकार ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्ति को ध्यान में रखते हुए पानाबरस संभाग द्वारा बताये गये अनुमानित उत्पादन को वर्ष 2012-13 में 370 एनटी से 810 एनटी तथा 2013-14 में 700 एनटी से 1000 एनटी करने हेतु सुधारात्मक कदम उठा लिये गये है।

[14] 250 एनटी ₹ 3600 प्रति एनटी की दर से तथा 110 एनटी ₹ 3240 प्रति एनटी की दर से
[15] 580 एनटी तथा 145 एनटी ₹ 4654 प्रति एनटी की दर से
[16] 316.816 एनटी X (₹ 4654.00 - ₹ 3864.56) प्रति एनटी

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्रेता से अनुबंध अंतिमीकृत करने के पहले, कंपनी वन से डिपो तक परिवहन किये गये वास्तविक औद्योगिक बाँस की मात्रा से अवगत (मार्च 2011 तथा मार्च 2012) थी, जैसा कि वर्ष 2010-11 के लिए 515.65 एनटी तथा वर्ष 2011-12 के लिए 809.05 एनटी जो कि निविदा में दर्शित मात्रा से बहुत अधिक थी। इसप्रकार, कंपनी ने अनुबंधित मात्रा को पुनरीक्षित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया जैसा कि अतिरिक्त प्रबंध संचालक द्वारा मार्च 2011 में सुझाव दिया गया था और न ही नवीन निविदा आमंत्रित की जिसके फलस्वरूप कंपनी को राजस्व की हानि हुई।

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड

3.5 ऑटो स्वीप सुविधा नहीं लेने के कारण ब्याज की हानि

चल खाते में ऑटो-स्वीप सुविधा न लेने के कारण कंपनी को ₹ 54.74 लाख के ब्याज की हानि हुई

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (कंपनी) की स्थापना राज्य में भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) के क्रय, भण्डारण एवं विक्रय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के थोक अभिकर्त्ता के रूप में पूर्णरूप से स्वतंत्र सरकारी कंपनी के रूप में हुई (नवम्बर 2001)। कंपनी द्वारा विभिन्न पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से विविध ब्राण्ड की आईएमएफएल का क्रय तथा कंपनी के गोदामों में भण्डारण करने के पश्चात् इसमें अपना लाभ का मार्जिन जोड़कर फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी परमिट के आधार पर विक्रय किया जाता है।

कंपनी के लेनदेन पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं एचडीएफसी बैंक के चल खातों द्वारा संचालित होते हैं। कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कंपनी ने यूको बैंक, रायपुर (27 सितम्बर 2011) तथा एक्सिस बैंक, रायपुर (20 सिम्तबर 2013) में एक और चल खाता खुलवाया। चल खाते में रखी राशि पर ब्याज अर्जित करने के लिए कंपनी ने यूको बैंक को न्यूनतम राशि ₹ 50,000 चल खाते में रखकर ₹ 50,000 से अधिक की राशि को ऑटो स्वीप खाते[17] में अंतरण करते हेतु निर्देश दिए (10 अक्टूवर 2011)।

यूको बैंक तथा एक्सिस बैंक में संधारित चल खाते के अक्टूबर 2011/सितम्बर 2013 से फरवरी 2014 की अवधि के दैनिक बैंक शेष की संवीक्षा (मार्च 2014) में खुलासा हुआ कि कंपनी के पास चल खाते में अत्यधिक शेष राशि पड़ी हुई थी। यूको बैंक में न्यूनतम शेष ₹ 0.95 लाख (3 मार्च 2012) तथा ₹ 10.00 करोड़ (1 अक्टूबर 2011) एवं एक्सिस बैंक में न्यूनतम शेष ₹ 23.81 लाख (20 सितम्बर 2013) तथा ₹ 6.93 करोड़ (27 दिसम्बर 2013) के मध्य ब्याज रहित चल खाते में पड़ा हुआ था, जैसा कि ***अनुलग्नक 3.5*** में दर्शाया गया है।

[17] इस योजना के तहत उपभोक्ता को खाते में कुछ न्यूनतम शेष रखना पड़ता है तथा न्यूनतम शेष से अधिक राशि स्वतः सावधि जमा खाते में नियमित समयांतराल में उस अवधि तक जब तक कि उपभोक्ता द्वारा इस राशि का उपयोग नहीं कर लिया जाता, अंतरित हो जाती है। उपभोक्ता की आवश्यकतानुसार यदि चल खाते में राशि अपर्याप्त होने पर सावधि जमा स्वतः ही बंद हो जाती है (आहरण की राशि के आधार पर) तथा ब्याज की गणना उस अवधि के लिए, जब तक कि राशि इस योजना में थी, तक की जाती है

हमने पाया कि यद्यपि कंपनी ने ब्याज आय को अधिक करने के लिए यूको बैंक को ₹ 50,000 से अधिक की राशि को चल खाते से ऑटो-स्वीप खाते में अंतरण हेतु निर्देश दिया था, किन्तु यूको बैंक अधिक राशि को ऑटो स्वीप खाते में अंतरण करने में विफल रहा। हमने यह भी पाया कि कंपनी ने एक्सिस बैंक में संधारित चल खाते में ऑटो स्वीप सुविधा नहीं ली। इसके परिणामस्वरूप दोनों बैंको के ब्याज रहित चल खातों में अत्यधिक राशि पड़ी रही, जिससे ₹ 54.74 लाख की ब्याज की हानि हुई, जिसकी गणना ऑटो-स्वीप खाते में लागू ब्याज दर के आधार पर की गई है, जैसा कि ***अनुलग्नक 3.5*** में वर्णित है।

शासन ने कहा (जून 2014) कि कंपनी द्वारा यूको बैंक में ऑटो-स्वीप सुविधा पहले से ही ले ली गई थी, किन्तु बैंक की तरफ से कुछ तकनीकि समस्या के कारण कुछ दिनों तक यह राशि ऑटो-स्वीप खाते में अंतरित नहीं की जा सकी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कंपनी राशि को अंतरण न करने के प्रकरण को यूको बैंक से सुलझाने में विफल रही तथा इसके परिणामस्वरूप कंपनी को बैंक की आंतरिक समस्या के कारण ब्याज की हानि हुई।

कंपनी को प्रकरण तत्काल यूको बैंक के संज्ञान में लाना चाहिए था तथा ब्याज की हानि को रोकने के लिए एक्सिस बैंक में ऑटो-स्वीप सुविधा लेनी चाहिए थी।

3.6 शास्ति ब्याज का परिहार्य भुगतान

स्रोत पर संग्रहित कर को शासकीय खाते में निश्चित समय सीमा में जमा करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.16 लाख के शास्ति ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 206 सी के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, क्रेता द्वारा संदेय रकम क्रेता के लेखा में विकलित करते समय या ऐसी रकम उक्त क्रेता से नकद रूप में अथवा चेक अथवा ड्राफ्ट लेकर अथवा किसी अन्य रीति से प्राप्त करते समय, इनमें से जो भी पहले हो, मानव उपयोग के एल्कोहॉलिक लिकर के क्रेता से एक प्रतिशत राशि आयकर के रूप में संगृहित करेगा। इस तरह संगृहित किये गए कर को स्रोत पर संगृहित कर (टीसीएस) कहा जाता है। आयकर नियम के नियम 30(2) के अनुसार विक्रेता को टीसीएस की राशि कटौती किए गए माह के अंत से सात दिन में या इससे पहले शासन के खाते में जमा करना पड़ता है। टीसीएस समय पर जमा करने में विफल होने की दशा में 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से (30 जून 2010 तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष) उस तिथि से जब से कर कटौती योग्य/संगृहित करने योग्य हो, से शासकीय खाते में भुगतान तक के लिए भारित होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (कंपनी) की स्थापना राज्य में भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) के क्रय, भण्डारण एवं विक्रय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के थोक अभिकर्त्ता के रूप में पूर्णरूप से स्वतंत्र सरकारी कंपनी के रूप में हुई (नवम्बर 2001)। कंपनी विभिन्न पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से विविध ब्राण्ड की आईएमएफएल का क्रय तथा कंपनी के गोदामों में भण्डारण करने के पश्चात इसमें अपना लाभ का मार्जिन जोड़कर फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी परमिट के आधार पर विक्रय किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961

(अधिनियम) की धारा 206 सी के अनुसार फुटकर क्रेताओं को मदिरा विक्रय करते समय, आयकर (टीसीएस) संगृहित करने तथा इसे आयकर नियम के नियम 30(2) के प्रावधानों के अनुसार शासकीय खाते में जमा करने हेतु कंपनी उत्तरदायी है।

दस्तावेजों की संवीक्षा (मार्च 2014) से खुलासा हुआ कि 2009-12 के दौरान, कुछ प्रकरणों में कंपनी टीसीएस राशि शासकीय खाते में निर्धारित समय-सीमा के अंदर जमा करने में विफल रही परिणामतः उसे ₹ 10.16 लाख के शास्ति ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

शासन ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार करते हुऐ कहा (जून 2014) कि साफ्टवेयर में तकनीकि समस्या तथा कंपनी के रायपुर गोदाम के स्थानांतरण के कारण टीसीएस की राशि समय पर जमा नहीं की जा सकती थी। शासन ने यह भी कहा कि कंपनी द्वारा ऑनलाईन भुगतान सेवा लागू करने के पश्चात् टीसीएस राशि एवं अन्य कर अब नियमित रूप से समय पर जमा किए जा रहे है।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

3.7 आधिक्य निधि का अन्यायोचित निवेश

आधिक्य निधि के अन्यायोचित निवेश के परिणामस्वरूप ₹ 40.66 लाख की कम ब्याज की प्राप्ति हुई

ब्याज अर्जन हेतु, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) अपनी आधिक्य निधि को विभिन्न अनुसूचित बैंको में सावधि जमा (एफडी) के रूप में निवेश करती हैं। 31 मार्च 2013 की स्थिति में कंपनी के पास 18 बैंकों में ₹ 584.45 करोड़ की एफडी थी, जिनकी ब्याज दर सात एवं 10.10 प्रतिशत के मध्य थी।

वर्ष 2012-13 के दौरान की गयी एफडी की नमूना जाँच (नवम्बर 2013) में यह पाया गया कि कंपनी ने अपनी आधिक्य निधि के निवेश के लिए कोई नीति स्थापित नहीं की थी एवं एफडी में निवेश का निर्णय पूर्ण रूप से कंपनी के प्रबंधन के विवेक पर निर्भर था। हमने यह पाया कि कंपनी ने इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रस्तावित उच्च ब्याज दर की अनदेखी करते हुए तीन बैंकों में निम्न ब्याज दर पर ₹ 144.80 करोड़ निवेश किए। इसके कारण ₹ 40.66 लाख ब्याज से कम आय हुई जिसका विवरण ***तालिका-3.6*** में दिया गया है।

तालिका - 3.6

स.क्र.	बैंक का नाम	मूलधन (₹ करोड़ में)	निवेश की अवधि	ब्याज की दर(%)	अर्जित ब्याज (₹ लाख में)	ब्याज जो अर्जित किया जा सकता था यदि निधि को 9.25 प्रतिशत की दर पर इलाहाबाद बैंक में निवेश किया गया होता (₹ लाख में)	कम ब्याज आय (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
1	बैंक ऑफ बड़ौदा[18]	140.00	एक वर्ष (26.10.2012)	9.00	1303.17	1340.62	37.45
2	आंध्रा बैंक	1.17	एक वर्ष (25.10.2012)	8.00	10.94	11.25	0.31
3	ऐक्सिस बैंक	3.63	एक वर्ष (13.10.2012)	8.50	31.84	34.74	2.90
			योग				40.66

शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि इलाहाबाद बैंक की ब्याज दर पर विचार नहीं किया गया क्योंकि बैंक ने 9.25 प्रतिशत की ब्याज दर पाँच करोड़ से कम निवेश की राशि के लिए प्रस्तावित की थी चूंकि पाँच करोड़ एवं उससे अधिक राशि के एफडी के लिए उन्हें अपने महाप्रबंधक (आईआरएम) से पूर्व अनुमति लेनी होती है जिसमें अधिक समय लग जाता। एक्सिस बैंक में किए गए एफडी के संबंध में शासन ने कहा कि एक्सिस बैंक में निवेशित राशि "एसिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर डेवलपिंग एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड अदर एलाइड एक्टीविटीस" (एसाइड) परियोजनाओं से संबंधित है जो केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई थी एवं केवल एक्सिस बैंक में ही रखी जानी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कंपनी ₹ 140 करोड़ को ₹ 5 करोड़[19] से कम की 28 एफडी बनाकर इलाहाबाद बैंक में निवेश कर सकती थी जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रकरण में किया गया था। एक्सिस बैंक के संबंध में, यद्यपि, कंपनी को एसाइड की राशि केवल एक्सिस बैंक में रखनी थी किन्तु यह कंपनी को अपनी आधिक्य निधि को अधिक योग्य विकल्प में निवेश करने से प्रतिबंधित नहीं करता।

कंपनी को आधिक्य निधि के न्यायोचित निवेश से अपने आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालीन निवेश नीति व्यवस्थापित करनी चाहिए।

3.8 आबंटिती को अनुचित लाभ

भूमि प्रीमियम की गणना के लिए कम दर लेने के कारण निजी पक्षकार को ₹ 23.60 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाया गया

उद्यमियों के विशिष्ट अनुरोध पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भूमि अधिग्रहण कर, परियोजनाओं के प्रतिपादन के लिए उन्हें आबंटित करती है। निजी भूमि के आबंटन के लिए भूमि प्रीमियम की गणना भूमि के बाजार मूल्य[20] के साथ ही तोषण, ब्याज एवं प्रचलित सेवा प्रभार के आधार पर

[18] ₹ 10 करोड़ प्रत्येक की 14 एफडी

[19] अर्थात ₹ 499.99 लाख

[20] सेन्ट्रल वैल्युएशन बोर्ड, छत्तीसगढ़ शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष निर्धारित

की जाती है। इसके अतिरिक्त कंपनी, भूमि प्रीमियम के 2.5 प्रतिशत के बराबर वार्षिक लीज़ रेंट एकत्र करती है। इस संबंध में राज्य शासन की अधिसूचना (अप्रैल 1982) में यह प्रावधानित है कि उद्यमियों को आबंटित शासकीय भूमि के भूमि प्रीमियम की गणना भी निजी भूमि के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) ने रायगढ़ जिले में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए 62.140 हेक्टेयर भूमि जिसमें 0.959 हेक्टेयर शासकीय भूमि सम्मिलित थी, के आबंटन के लिए आवेदन किया (28 जुलाई 2010)। रायगढ़ जिला प्रशासन के अभिलेखों में 0.959 हेक्टेयर माप की भूमि को रायगढ़ जिले के ग्राम बरमूड़ा में निर्मित सड़क के रूप में दर्ज किया गया था। आवेदन पर विचार करने के बाद शासन ने कुल ₹ 21.38 लाख के भूमि प्रीमियम एवं ₹ 53450 के वार्षिक लीज़ रेंट पर 0.959 हेक्टेयर शासकीय भूमि जेएसपीएल को ग्राम के लिए वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था करने की शर्त पर आबंटित (23 मार्च 2013) किया एवं 99 वर्षों के लिए लीज़ डीड निष्पादित (3 जून 2013)की।

हमने पाया (नवम्बर 2013) कि उक्त शासकीय भूमि जिसका माप 0.959 हेक्टेयर था वास्तव में शासकीय अभिलेखों के अनुसार एक सड़क थी। तदानुसार, भूमि प्रीमियम की गणना करते समय, भूमि का बाजार मूल्य ₹ 23.95 लाख प्रति हेक्टेयर लिया जाना चाहिए था जो कि सेंट्रल वैल्युएशन बोर्ड (सीवीबी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क के किनारे के भूखण्ड की दर दी गई है। यद्यपि, कंपनी ने भूमि का कम बाजार मूल्य ₹ 13.92 लाख प्रति हेक्टेयर लिया जो कि *पड़ती*[21] भूमि की दर है। भूमि प्रीमियम की गणना के लिए भूमि की कम दर लेने के कारण कंपनी को ₹ 15.41 लाख के भूमि प्रीमियम एवं ₹ 8.19 लाख[22] 99 वर्षों की लीज़ अवधि के लीज़ रेंट की हानि हुई। इसके अतिरिक्त जेएसपीएल ने ग्राम के लिए सड़क की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की। भूमि प्रीमियम एवं लीज़ रेंट की कम वसूली के कारण जेएसपीएल को ₹ 23.60 लाख का अनुचित लाभ भी पहुँचाया गया।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2014) कि कलेक्टर, रायगढ़ के आदेशानुसार उक्त सड़क एक ग्रामीण सड़क थी, जिसका उपयोग ग्रामवासियों द्वारा अपने खेतों में जाने के लिए किया जाता था एवं इस सम्पूर्ण भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् सड़क का कोई उपयोग नहीं था। तदानुसार, भूमि को *पड़ती* मानकर भूमि प्रीमियम की गणना की गई।

उत्तर यह सुनिश्चित करता है कि उक्त भूमि एक सड़क थी एवं तदानुसार भूमि प्रीमियम की गणना के समय भूमि का बाजार मूल्य ₹ 23.95 लाख प्रति हेक्टेयर लेना चाहिए था जो कि सीवीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क किनारे के भूखण्ड की दर है। इसके अतिरिक्त प्रबंधन का यह उत्तर कि सम्पूर्ण भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् सड़क अनुपयोगी हो गई थी एवं तदानुसार, भूमि प्रीमियम की गणना के लिए सड़क किनारे के भूखण्ड की दर को नहीं लिया गया स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि प्रीमियम की गणना के लिए अधिग्रहण के समय दर्ज भूमि के उपयोग को ध्यान में रखा जाता है। जहाँ तक भूमि प्रीमियम की गणना का प्रश्न है अधिग्रहण के पश्चात् भूमि के उपयोग मे बदलाव का कोई महत्व/उपयोगिता नहीं है। यहाँ यह कहना भी आवश्यक है कि आबंटन की

[21] वह भूमि जो हाल के 4-5 वर्षों से खेती के लिए उपयोग नहीं हुई हो

[22] पाँच प्रतिशत के डिस्काउंटिंग फैक्टर पर ₹ 50.82 लाख का शुद्ध वर्तमान मूल्य

शर्तों के अनुसार जेएसपीएल के द्वारा ग्राम के लिए सड़क की वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही भूखण्ड का आबंटन किया जाना था। यद्यपि, जेएसपीएल ने अभी तक (सितंबर 2014) ग्राम के लिए वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था नहीं की तथा कंपनी ने भी इसके लिये जोर नहीं दिया।

कंपनी को जेएसपीएल से भूमि प्रीमियम एवं लीज़ रेंट के अंतर की राशि की वसूली करनी चाहिए।

हमने मामला राज्य शासन को सूचित (मार्च 2014) किया है, उनका उत्तर प्रतीक्षारत् (अक्टूबर 2014) है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड

3.9 परिहार्य व्यय

कोरबा ताप विद्युत गृह के इकाई 6 की समय पर कैपिटल ओवरहॉलिंग (सीओएच) करने में कंपनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 68.87 लाख का परिहार्य व्यय हुआ

ताप विद्युत गृहों के प्रदर्शन के दीर्घकालीन स्थायी स्तरों को सुनिश्चित करने के लिए सामयिक संधारण कार्यक्रमों का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। उपकरणों की कार्यक्षमता एवं उपलब्धता, कैपिटल ओवरहॉलिंग कार्यक्रम/वार्षिक संधारण एवं उपकरण संधारण कार्यक्रम के सख्ती से पालन पर निर्भर करती है। कार्यक्रमों के पालन न होने से उपकरण द्वारा कोयला, ईधन तेल के अधिक खपत करने का खतरा होता है एवं बलकृत आउटेज का खतरा बढ़ जाता है जिससे सुधार एवं संधारण कार्य आवश्यक हो जाते है। इन घटकों के कारण उपकरणों की उपलब्धता में कमी होने से उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती हैं जिससे पूरा विद्युत उत्पादन प्रभावित होता है।

नवीनीकरण के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के कोरबा ताप विद्युत गृह (केटीपीएस) की 120 मेगावाट क्षमता वाली इकाई 6 ने 8 अक्टूबर 2003 को विद्युत उत्पादन शुरू किया। मानक प्रचलन के अनुसार, विद्युत संयंत्र के सुचारू परिचालन के लिए हर पाँचवें वर्ष सीओएच किया जाता है एवं तद्नुसार इकाई 6 का सीओएच अक्टूबर 2008 में होना था। हमने यह पाया (फरवरी 2014) कि इकाई 6 में 2004 से हो रहे टर्बो जनरेटर बेरिंग में उच्च कम्पन, टीजी के अधिक धुरीय अंतरण, इंटरमीडिएट प्रेशर (आईपी) डिफरेंशियल एक्सपैंशन के असाधारण व्यवहार के बारे में सचेत होने के बाद भी एवं यह जानते हुए कि इन समस्याओं को सीओएच के दौरान ही सुधारा जा सकता है, कंपनी ने इकाई 6 का सीओएच समय पर नहीं किया जिसके कारण नवम्बर 2012 में बड़ा ब्रेकडाउन घटित हुआ। परिणामस्वरूप इकाई 6, 4 नवम्बर 2012 से 8 मई 2013 तक 186 दिनों के लिए जनरेटर रोटर के सुधार एवं सीओएच के निष्पादन के लिए बन्द रही। यदि कंपनी ने इकाई 6 का सीओएच कार्यक्रम के अनुसार किया होता तो जनरेटर रोटर के उच्च कम्पन की समस्या सीओएच के दौरान ही सुधार ली जाती जिससे कि जनरेटर रोटर को हुए नुकसान के साथ ही इकाई 6 के आउटेज को टाला जा सकता था। अतः कंपनी की विफलता के कारण इकाई 6 के

आउटेज की वजह से 221.18 मिलियन यूनिट[23] की उत्पादन हानि के अतिरिक्त क्षतिग्रस्त जनरेटर रोटर के सुधारकार्य पर ₹ 68.87 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (अप्रैल 2014) कि मशीनों का वार्षिक ओवरहॉलिंग प्रत्येक वर्ष नियत किया जाता है एवं सीओएच का निर्धारण मशीन की अवस्था को देखकर किया जाता है कि कहीं कोई बड़ी खराबी तो नहीं जो कि बहुत लंबे समय से बनी हुई हो जिसे नियमित एओएच के दौरान ठीक नहीं किया जा सकता। मशीन के ओरिजनल इक्युपमेंट मैनुफैक्चरर अर्थात बीएचईएल ने भी सीओएच के लिए कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं की एवं इससे पहले कंपनी ने इकाई 6 का सीओएच लगभग 10 वर्षों के अंतराल में करवाया था। प्रबंधन ने आगे यह भी कहा कि, चूंकि इकाई 6 (टर्बाइन एवं जनरेटर के बेरिंग में कम्पन, टर्बाइन के एक्सियल शिफ्ट एवं डिफरेंशिएल एक्सपैंशन सामान्य थे) में कोई भी महत्वपूर्ण असामान्यतायें नहीं थी जिसके लिए सीओएच आवश्यक हो, एओएच अक्टूबर-नवम्बर 2012 में किया गया। सीओएच का निर्णय बाद में एओएच की समाप्ति पर फ्रन्ट जनरेटर बेरिंग के विफल होने पर लिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, यद्यपि, बीएचईएल ने सीओएच करने के लिए कोई भी समयावधि निर्धारित नहीं की थी, केटीपीएस के मैदानी अधिकारियों[24] एवं कंपनी के मुख्य अभियंता (भण्डार एवं क्रयः उत्पादन) ने क्रमशः 24 नवंम्बर 2012 एवं 4 दिसम्बर 2012 को यह सुझाव दिया था कि सुचारू संचालन के लिए विद्युत गृह का हर पाँचवे वर्ष सीओएच किया जाना चाहिए। तद्नुसार केटीपीएस के अधिकारियों ने भी यह अवगत कराया (24 नवम्बर 2012) कि इकाई 6 का सीओएच लंबे समय से लंबित है। इसके अतिरिक्त, प्रबन्धन का यह उत्तर कि एओएच के पहले, इकाई 6 में कोई भी महत्वपूर्ण असामान्यता नहीं थी, तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि, टीजी बेरिंग में उच्च कम्पन, टीजी का अधिक एक्सिअल शिफ्ट, आई पी डिफरैंशियल एक्सपैंशन का असामान्य व्यवहार इत्यादि जैसी समस्याएँ इकाई 6 में जुलाई 2004 से ही थी, जिसका उल्लेख इकाई 6 के आउटेज के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए गठित समिति के द्वारा भी किया गया था (जनवरी 2013)।

कंपनी को विद्युत क्षेत्र में सर्वोतम तरीकों को ध्यान में रखते हुए कैपिटल ओवरहॉलिंग करने के लिए नीति व्यवस्थापित करना/दिशा-निर्देश तैयार करना चाहिए, जिससे कि ऐसी घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति टाली जा सके।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2014) तथा उनका उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2014)।

[23] शुद्ध आउटेज 96 दिनों के लिए था अर्थात कुल 186 दिनों का आउटेज(-) सीओएच के लिए अधिकतम 90 दिनों का स्वीकृत समय। अतः 96 दिनों के लिए उत्पादन हानि (120 मे.वा.X 1000 केडब्ल्यूएच X 24 घंटे X 80 प्रतिशत पीएलएफ X 96 दिन)/10,00,000 केडब्ल्यूएच = 221.18 मिलियन यूनिट थी

[24] अधीक्षण अभियंता (ईटीएण्डआई) एवं अधीक्षण अभियंता (एमएम- III)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

3.10 निजी विद्युत उत्पादकों को अनुचित लाभ

निजी विद्युत उत्पादकों के साथ किए गए विद्युत क्रय अनुबंध में लाईन लॉस की कटौती के उचित उपबंध को शामिल न करने तथा लाईन लॉस को न्यूनतम दर से लागू करने के परिणामस्वरूप निजी विद्युत उत्पादकों को ₹ 20.54 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया

छत्तीसगढ़ राज्य में दिसम्बर 2008 तक राज्य की विद्युत की माँग की पूर्ति करने के लिए अल्पकालीन आधार पर कैप्टिव विद्युत संयंत्र (सीपीपी)/इंडिपेन्डेन्ट विद्युत उत्पादक (आईपीपी) से विद्युत का क्रय पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा किया जाता था। मण्डल के विखण्डन के पश्चात् विद्युत का क्रय 1 जनवरी 2009 से 31 मार्च 2010 तक विद्युत वितरण कंपनी (वितरण कंपनी) द्वारा तथा इसके पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिग कंपनी (ट्रेडिंग कंपनी) द्वारा किया जाता था।

तदानुसार, राज्य की माँग की पूर्ति करने के लिए वितरण कंपनी/ट्रेडिंग कंपनी सीपीपी/आईपीपी से अल्पकालीन आधार पर विद्युत क्रय करते हैं। विद्युत उत्पादक अपने संयंत्र की क्षमता के आधार पर वितरण कंपनी/ट्रेडिंग कंपनी को विद्युत विक्रय हेतु प्रस्ताव करते हैं प्रत्युत्तर में वितरण कंपनी/ट्रेडिंग कंपनी माँग के अनुसार प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। बाद में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) की नियम एवं शर्तों के अनुसार विद्युत संयंत्र एवं वितरण कंपनी/ट्रेडिंग कंपनी विद्युत क्रय हेतु विद्युत क्रय अनुबंध (अनुबंध) निष्पादित करते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता 2007 (30 दिसंबर 2006 से लागू) के उपबंध 4.1.1 के अनुसार क्रय की गई विद्युत के लिए मीटरींग प्वाईंट अनुज्ञप्तिधारी[25] का अति उच्चदाब उपकेंद्र का इनकमिंग फीडर गैन्ट्री होगा। विद्युत संयंत्र से लेकर उपकेंद्र के इंजेक्टिंग प्वाईंट तक की पारेषण हानि विद्युत उत्पादकों द्वारा वहन की जाती है। तदानुसार, ट्रेडिंग कंपनी ने ऐसे विद्युत उत्पादकों, जो ग्रिड में विद्युत संयंत्र से सीधे विद्युत इंजेक्ट कर रहे हो, से अप्रैल 2010 से पाँच [26] /छः[27] प्रतिशत की दर से पारेषण हानि की वसूली प्रारंभ की।

(अ) वर्ष 2008-09 से 2011-12 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि 15 विद्युत उत्पादक[28] विद्युत संयंत्र से सीधे ग्रिड में विद्युत इंजेक्ट कर रहे थे तथा मीटरिंग व बिलिंग के संबंध में उचित उपबंध शामिल नहीं किया तथा 2008-10 के

[25] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

[26] 220/132 केव्ही लाईन के लिए

[27] 33 केव्ही लाईन के लिए

[28] बजरंग पावर एवं इस्पात लिमिटेड, सिंघल इंटरप्राइजेज पावर लिमिटेड, जयसवाल नेको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, सालासार स्टील एवं पावर लिमिटेड, जी आर स्पंज एवं पावर लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, एबीसी इण्डिया, इण्ड सेनर्जी, क्रेस्ट स्टील एवं पावर लिमिटेड, टॉपवर्थ स्टील लिमिटेड, प्रकाश इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, नवदुर्गा फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, अंजनी स्टील प्राईवेट लिमिटेड, बजरंग मेटालिक्स, ए पी आई इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड

दौरान छः विद्युत उत्पादकों [29] से ₹ 19.92 करोड़[30] वसूल नहीं कर पाया। बाद में, ट्रेडिंग कंपनी ने 2010-11 से विद्युत का क्रय-विक्रय प्रारंभ किया और विद्युत उत्पादकों से पारेषण हानि की वसूली प्रारंभ की तथा उक्त छः विद्युत उत्पादकों से 2009-10 का ₹ 5.05 करोड़ वसूल किया। छः में से पाँच[31] विद्युत उत्पादकों जिनसे ट्रेडिंग कंपनी ने पारेषण हानि की वसूली की, ने आयोग के समक्ष पारेषण हानि की वापसी के लिए याचिका दायर की। आयोग ने प्रकरण का फैसला विद्युत उत्पादकों के पक्ष में दिया (14 दिसम्बर 2011) तथा ट्रेडिंग कंपनी ने आदेश के अनुपालन में ₹ 4.13 करोड़ इन विद्युत उत्पादकों को वापस किया (जनवरी 2012)।

इसप्रकार, अनुबंध निष्पादित करते समय पारेषण हानि की कटौती का उचित वाक्य शामिल नहीं करने से ₹ 19.00 करोड़[32] की हानि हुई।

वितरण कंपनी ने कहा (7 अगस्त 2013/12 अगस्त 2014) कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता 2007 के प्रथम संशोधन के वाक्य 4.1.4 के अनुसार सभी वर्तमान विद्युत उत्पादकों को 31 मार्च 2009 तक ग्रिड से संयोजकता सुनिश्चित करना था, जिसे कि आयोग द्वारा समय-समय पर बढ़ाया गया था। आयोग ने भी मेसर्स सालासार स्टील एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2011 का 29 (डी) के आदेश में लाईन लॉस की वसूली को विद्युत क्रय अनुबंध में लाईन लॉस से संबंधित उचित उपबंध शामिल न करने के कारण अमान्य कर दिया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आयोग द्वारा विद्युत उत्पादकों को स्वतंत्र संयोजकता के लिये 31 मार्च 2009 तक समय सीमा में छूट, विद्युत उत्पादकों की ग्रिड से संयोजकता की कटौती से रोकने के लिए किया गया था, जिसका लाईन लॉस/ पारेषण हानि की कटौती करने से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने मेसर्स सालासार स्टील एण्ड पावर लिमिटेड से लाईन लॉस की वसूली को अमान्य, अनुबंध में लाईन लॉस की कटौती संबंधी उचित उपबंध शामिल न करने के कारण किया।

(ब) यह भी पाया गया कि ट्रेडिंग कंपनी ने बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड से लाईन लॉस की लागू दर पाँच प्रतिशत के विरूद्ध 0.04 प्रतिशत की दर से कटौती की। पाँच प्रतिशत के स्थान पर 0.04 प्रतिशत की दर से लाईन लॉस की कटौती न्यायोचित नहीं है तथा इसके परिणामस्वरूप बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड को ₹ 1.54 करोड़[33] का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

ट्रेडिंग कंपनी ने कहा (12 अगस्त 2014) कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी के मीटर रिले टेस्टिंग संभाग द्वारा स्वतंत्र फीडर की औसत हानि की गणना 0.04 प्रतिशत से की गई है तथा इसे ही लाईन लॉस की गणना के लिए स्वीकार किया गया हैं।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि अप्रैल 2010 से ट्रेडिंग कंपनी अन्य उत्पादकों से पाँच प्रतिशत की दर से लाईन लॉस वसूल रही है।

[29] सिंघल इंटरप्राइजेज पावर लिमिटेड, जयसवाल नेको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सालासार स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, जी.आर. स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, एसीबी इंडिया

[30] 2008-09: ₹ 9.70 करोड़ एवं 2009-10: ₹ 10.22 करोड़

[31] सिंघल इंटरप्राइजेज पावर लिमिटेड, जयसवाल नेको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सालासार स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, जी.आर. स्पंज एण्ड प्राईवेट लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड,

[32] ₹ 19.92 करोड़ - (₹ 5.05 करोड़ - ₹ 4.13 करोड़)

[33] 2009-10 के दौरानः ₹ 0.15 करोड़ एवं 2010-11 के दौरानः ₹ 1.39 करोड़

इस प्रकार, सीपीपी/आईपीपी से अनुबंध करते समय लाईन लॉस की कटौती के उचित उपबंध को शामिल न करने तथा लाईन लॉस को एक सीपीपी से न्यूनतम दर से लागू करने के परिणामस्वरूप सीपीपी/आईपीपी को ₹ 20.54 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुँचाया गया।

हमने मामला राज्य शासन को सूचित (जुलाई 2014) किया है, उनका उत्तर प्रतिक्षारत् (अक्टूबर 2014) है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

3.11 कैप्टिव विद्युत उत्पादकों को अनुचित लाभ

विद्युत क्रय अनुबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विद्युत की शेड्यूलिंग में संशोधन करने की स्वीकृति के परिणामस्वरूप कैप्टिव विद्युत उत्पादक को ₹ 1.37 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (ट्रेडिंग कंपनी) मेसर्स कार्पोरेट इस्पात एण्ड एलॉय लिमिटेड (सीआईएएल) (8 अप्रैल 2010 एवं 19 अगस्त 2010) तथा मेसर्स भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) (26 अगस्त 2010) द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) द्वारा जारी आदर्श विद्युत क्रय अनुबंध (अनुबंध) में दर्शायी गई अधिकतम सीमा दर, नियमों एवं शर्तो के आधार पर सीआईएएल तथा बाल्को से वर्ष 2010-11 के लिए अल्पकाल में विद्युत क्रय किया।

अनुबंध के उपबंध 3 के अनुसार विद्युत उत्पादकों को ट्रेडिंग कंपनी को आगामी माह में आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की मात्रा की मासिक सूचना चालू माह के 23 तारीख तक देना होगा। यदि विद्युत उत्पादकों द्वारा आगामी माह की सूचना निर्धारित तिथि तक स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) को ट्रेडिंग कंपनी को सूचित करते हुए नहीं दी जाती है तो चालू विद्युत शेडयूलिंग ही आगामी माह के लिए भी लागू होगी। लोड फैक्टर एवं प्रभावशील दर (विद्युत क्रय) की गणना मासिक/साप्ताहिक आधार पर निर्धारित सूत्र[34] के अनुसार विद्युत क्रय की अनुसूचित मात्रा के आधार पर की जाती है।

सूत्र से यह देखा जा सकता है कि यदि विद्युत की अनुसूचित मात्रा कम ली जाती है, तो लोड फैक्टर में वृद्वि होगी तथा प्रभावशाली दर में भी वृद्वि होगी इस तरह विद्युत क्रय दर, विद्युत की अनुसूचित मात्रा के साथ बदलती है।

अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि सीआईएएल एवं बाल्को विद्युत की अनुसूचित मात्रा की घोषणा निर्धारित समय में घोषित करने में विफल रहा तथा इसे चालू माह की 23 तारीख के बाद सूचित किया, यद्यपि इसे ट्रेडिंग कंपनी के अनुबंध के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए स्वीकार कर लिया। सीआईएएल एवं बाल्को के विद्युत

[34] लोड फैक्टर= सप्ताह/माह में इंजेक्ट की गई इकाई / मासिक अनूसूचित मात्रा x 19 घंटे (ऑफ पीक घंटे के लिए) या 5 घंटे (पीक घंटे के लिए) x सप्ताह या माह में दिनों की संख्या

प्रभावशील दर = विद्युत क्रय दर x लोड फैक्टर % / 80%

क्रय देयक में विद्युत क्रय की अनुसूचित मात्रा में संशोधन के लिए अनुमति दिए जाने के फलस्वरूप ₹ 1.37 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि ***तालिका 3.7*** में दिया गया है।

तालिका - 3.7

विद्युत उत्पादकों के नाम	चालू विद्युत मात्रा (मेगावाट)	आपूर्ति घण्टे (पीक/ऑफ पीक/राउन्ड द क्लाक)	विद्युत की अनुसूचित मात्रा की सूचना (मेगावाट)	शेड्यूलिंग/सूचना की तिथि	अवधि	अधिक भुगतान (₹ लाख में)
सीआईएएल	20	पीक घण्टे	16	29- मई -10	1 जून 2010 से 30 जून 2010	33.85
	23	पीक घण्टे	16	27-अगस्त-10	25 सितम्बर 2010 से 30 सितम्बर 2010	31.46
बाल्को	265	राउन्ड द क्लॉक	93	4-अक्टूबर-10	29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2010	71.95
योग						137.26

(स्त्रोतः- कंपनी द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आँकड़ो का संकलन)

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2014) कि लोड फैक्टर एवं प्रभावशील विद्युत क्रय दर की गणना वास्तविक इंजेक्टेड मात्रा के आधार पर की गई, जिसके लिए एसएलडीसी से ओपन एक्सेस के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार विद्युत उत्पादक आगामी माह के लिए अनुसूचित विद्युत मात्रा की घोषणा चालू माह की 23 तारीख तक करने में विफल रहा, इसलिए इसे चालू माह की विद्युत मात्रा के आधार पर ही गणना किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, विद्युत क्रय अनुबधों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विद्युत की शेड्यूलिंग मे संशोधन की स्वीकृति के परिणामस्वरूप सीआईएएल एवं बाल्को को ₹ 1.37 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

हमने मामला शासन को सूचित किया (जुलाई 2014) उनका प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत् (अक्टूबर 2014) है।

सामान्य

3.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.12.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं विभागों द्वारा संधारित लेखों एवं अभिलेखों के प्रारंभिक निरीक्षण के साथ प्रारंभ होकर उनकी समीक्षा करते हुए चरम स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि उन पर उपयुक्त एवं समयबद्व प्रतिक्रिया कार्यपालक द्वारा हो।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका में क्रमशः मार्च 2010, मार्च 2011, अप्रैल 2012, मार्च 2013 तथा फरवरी 2014 मे रखे जा चुके हैं। वर्ष 2008-09 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) तथा

वर्ष 2011-12 के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) तथा वर्ष 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) में सम्मिलित आठ विभागों के अंतर्गत कार्यरत 11 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से संबंधित 27 कण्डिकाओं/निष्पादन लेखा परीक्षाओं में से 14 कण्डिकाओं/निष्पादन लेखा परीक्षाओं के संबंध में सरकार से 30 सितंबर 2014 तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है जैसा कि ***तालिका 3.8*** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.8

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल कंण्डिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा	संबंधित विभागों की संख्या	कण्डिकाओं की संख्या जिसके लिए प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुए
2008-09	6	6	2
2011-12	11	5	7
2012-13	10	6	5
योग	**27**		**14**

विभागवार विश्लेषण ***अनुलग्नक - 3.6*** में दिया गया है

सार्वजनिक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.12.2 वर्ष 2001-02 से 2012-13 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल एवं वाणिज्यिक) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) में 75 कण्डिकाओं तथा आठ निष्पादन लेखापरीक्षाओं को शामिल किया गया। इनमें से 46 कण्डिकाओं तथा पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा 30 सितंबर 2014 तक चर्चा की जा चुकी है। सार्वजनिक उपक्रम समिति ने वर्ष 2001-02 से 2009-10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की छः कण्डिकाओं के संबंध में ही अनुशंसाएँ दी हैं। निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कोई भी अनुशंसा अभी तक नहीं की गई है।

सार्वजनिक उपक्रम समिति के कार्यकारी नियमों के अनुसार विभागों को उनसे संबंधित अनुशंसाओं पर कार्यवाही विवरण (एक्शन टेकन नोट्स) तीन माह के अंदर समिति को प्रस्तुत करना आवश्यक है। 30 सितंबर 2014 तक 2001-02 से 2009-10 के वर्षों के लिए केवल एक एक्शन टेकन नोट प्राप्त हुआ।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

3.12.3 लेखापरीक्षा के दौरान ध्यातव्य एवं मौके पर निराकृत न हुई लेखापरीक्षा आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को सूचित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन का उत्तर इनकी प्राप्ति के चार सप्ताह की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। मार्च 2014 तक 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित जारी निरीक्षण प्रतिवेदन परिलक्षित करते हैं कि 182 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 474 कण्डिकाएं सितंबर 2014 के अंत तक अनिराकृत रही। निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनिराकृत कण्डिकाओं की 30 सितंबर 2014 को विभागवार स्थिति ***अनुलग्नक - 3.7*** में दी गई है।

इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर प्रारूप कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव तथा प्रधान सचिव, वित्त को छः सप्ताह की अवधि के भीतर तथ्यों तथा आंकड़ों की पुष्टि तथा उन पर उनकी टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुए अग्रेषित की जाती

है। जनवरी 2014 से अगस्त 2014 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रेषित 11 प्रारूप कण्डिकाओं (एक वृहद कंडिका सहित) तथा एक समीक्षा मे से शासन द्वारा सात प्रारूप कण्डिकाओं का उत्तर अब तक दिया गया है (अक्टूबर 2014)। चार प्रारूप कण्डिकाओं तथा एक समीक्षा का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है जैसा कि ***अनुलग्नक - 3.8*** मे वर्णित है।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि (अ) जो कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कण्डिकाओं/समीक्षाओं एवं लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही विवरण (एक्शन टेकन नोट्स) से संबंधित उत्तरों को भेजने मे विफल रहते हैं, उन पर कार्यवाही करने की एक प्रक्रिया विद्यमान है, (ब) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली समयबद्व तरीके से किये जाने की कार्यवाही की गई है तथा (स) लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर देने से संबंधित प्रणाली का नवीकरण किया गया।

रायपुर **(बिजय कुमार मोहंती)**
दिनांक **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**